संख्याः– / XXIX-2 / 2025 / E-76117

प्रेषक,

डी०एम०एस० राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, जायका,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 देहरादून, दिनांकः जुलाई, 2025

विषयः JICA से वित्त पोषित "The Project for the Improvement of Urban Water Supply in Uttarakhand" के अन्तर्गत योजनाओं के बेस लाइन सर्वे हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–108/धन की मांग/06, दिनांक 19 जून, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि JICA से वित्त पोषित "The Project for the Improvement of Urban Water Supply in Uttarakhand" के अन्तर्गत योजनाओं के बेस लाइन सर्वे कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 514.41 लाख (₹ पांच करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण कार्यक्रम निदेशक, पी०एम०यू०, जायका, उत्तराखण्ड, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) JICA एवं भारत सरकार के मध्य सम्पादित हुए MoU के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु ही उक्त धनराशि व्यय की जाय।

(iv) JICA एवं भारत सरकार के मध्य सम्पादित हुए MoU के प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(ix) धनराशि के व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(x) शासनादेश सं० 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) योजना की प्राविधिक स्वीकृति हेतु शासनादेश सं० 14910/XXIV(7)E-20109/2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल पूर्ति–101–शहरी जल पूर्ति–97–बाह्य सहायतित योजना–02–जायका के तहत पेयजल योजनाएं–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025, दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 23-07-2025 15:32:57
(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव

संख्याः– (1)/XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by Vivek Kumar Jain
Date: 23-07-2025 17:30:53
(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव